10-3001/74/2021-3-वित्त विभाग 14/2024/I/694669/2024

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
लखनऊ ; दिनांक : 18 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित निम्नलिखित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित जनपदों के रिक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाता है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/वर्तमान तैनाती जनपद	अतिरिक्त प्रभार
1	*2*	*3*
1	श्री मुकुल गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हमीरपुर।	महोबा
2	श्री अश्वनी कुमार शुक्ला, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया।	इटावा
3	श्री मनमोहन यादव, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कासगंज।	फर्रूखाबाद
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्भल।	अमरोहा
5	श्री संजय कुमार कश्यप, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	शामली

2- सम्बन्धित अधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त अतिरिक्त प्रभार के पद में निहित समस्त कर्तव्य/दायित्व सम्मिलित होंगे तथा उपरोक्त अधिकारियों को अलग से वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।
3. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in